6-ESTT SEC COMM MCB DUR

1/264888/202

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिला

क्रं. / ESTB/ 21325/2026-ACC SEC

भिलाई, दिनांक / 07 / 2026

/ /आदेश/ /

श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक जोन क्रमांक 03 द्वारा प्रतिदिन आधार–सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रतिवेदन में उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यालय से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते है। जोन आयुक्त जोन क्रमांक 03 के पत्र क्रमांक 650 दिनांक 18.06.2026 के द्वारा उपरोक्त अनुपस्थिति के लिए श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाव संतोषजनक नहीं है एवं उनका उपरोक्त कृत्य अपने कार्यो के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के (1)(2)(3) के विरूद्ध का आचरण है।

अतः कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक जोन क्रमांक 03 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोन क्रमांक 04 शिवाजी नगर रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Digitally signed by
Rajeev Kumar Pandey
Date: 08-07-2026
13:15:55

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्रं. / ESTB/ 21325/2026-ACC SEC

भिलाई, दिनांक 8 / 07 / 2026

प्रतिलिपि :–

1. महापौर / अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त–I/II नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 3 एवं 4 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी / जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
11. **श्री दिलीप चन्द्राकर, पम्प सहायक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।**

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई